शोध मंथन, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Aproved Journal No. 40908

भारत में मानवाधिकार की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

डॉ. बृजेन्द्र सिंह
प्राचार्य, अग्रवाल कन्या महाविद्यालय , गंगापुरसिटी

मानवाधिकार का अभिप्राय उन सभी अधिकारों से है जो मानव होने के नाते व्यक्ति के विकास और कल्पना के लिये आवश्यक एवं अनिवार्य है। मानव ईश्वर की सर्वोतम कषति है। मानवता मानव जीवन का धर्म है। प्रत्येक मानव के साथ मानवता का बर्ताव होना चाहिये चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, धर्म, सम्प्रदाय या वर्ग का हो, सभी को सम्मानपूर्वक जीवित रहने का नैतिक अधिकार है। वस्तुतः यही मानव अधिकार है। वास्तव में प्रत्येक मानव के चतुर्मुखी विकास के लिये जिन निरापद एवं महत्वपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता होती है उसी की पूर्णता को हम मानवाधिकार कहते हैं। "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।" अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। वास्तव में मानवअधिकार की धारणा का यह सूत्र वाक्य है। मानवाधिकारों का वर्णन हमारे वैदिक साहित्य में भी सशक्त रूप से विद्यमान है। वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत्र है। वेदों के पठन पाठन से ही हमें समाज में उचित ढंग से जीने का मूलमन्त्र प्राप्त होता है।

मूल शब्द

१. मानव अधिकार
२. अधिकार
३. व्यक्ति
४. संविधान
५. नागरिक

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ. बृजेन्द्र सिंह,

भारत में मानवाधिकार की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में,

शोध मंथन, दिस0 2017,
पेज सं0 31.35,
Artcile No. 6 (SM 466)
http://anubooks.com/?page_id=581

मानवाधिकार का अभिप्राय उन सभी अधिकारों से है जो मानव होने के नाते व्यक्ति के विकास और कल्पना के लिये आवश्यक एवं अनिवार्य है। मानव ईश्वर की सर्वोतम कर्षति है। मानवता मानव जीवन का धर्म है। प्रत्येक मानव के साथ मानवता का वर्ताव होना चाहिये चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, धर्म, सम्प्रदाय या वर्ग का हो, सभी को सम्मानपूर्वक जीवित रहने का नैतिक अधिकार है। वस्तुतः यही मानव अधिकार है। वास्तव में प्रत्येक मानव के चतुर्मुखी विकास के लिये जिन निरापद एंव महत्वपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता होती है उसी की पूर्णता को हम मानवाधिाकार कहते हैं।

अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकतायें हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिये उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नही की जा सकती है। राज्य का सर्वेत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसके लिये राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। मानवाधिकारों का तात्पर्य उन नैतिक अधिकारों से है जिनके बिना मनुष्य, मनुष्य नही रह सकता और जिनसे युक्त होकर वह अन्य प्राणियों से भिन्न होता है। मानव अधिकार मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाते हैं और उसके जीवन के साथ-साथ चलते रहते हैं।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।" अर्थात सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। वास्तव में मानवअधिकार की धारणा का यह सूत्र वाक्य है। मानवाधिकारों का वर्णन हमारे वैदिक साहित्य में भी सशक्त रूप से विद्यमान है। वेद भारतीय संस्कर्षति के मूल स्रोत्र है। वेदों के पठन पाठन से ही हमें समाज में उचित ढंग से जीने का मूलमन्त्र प्राप्त होता हैं। मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानवीय सुखों से है और सुख की अवधारणा को तभी से मानना श्रेयस्कर होगा जब से मानव जाति, समाज एंव राज्य का उदय हुआ है।

मानवाधिकारों पर विशेष ध्यान इनकी **१९४८ में सार्वभौमिक घोषणा** होने के बाद दिया जाने लगा। भारतीय **संविधान के भाग ३ में भी मूल अधिकारों** की एक सूची दी गई जिससे मानवाधिकारों के अर्थ को समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में इन अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

संविधान की **प्रस्तावना** में लिखा है कि "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उन सबमें व्यथ्कत की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिये दष्ढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक **२६ जनवरी १९४९ को** एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।" भारतीय संविधान द्वारा नागरिको को मूल अधिकार प्रदान किये गये है जो मुख्यतः निम्नानुसार है-

१. समानता का अधिकार

२. स्वतन्त्रता का अधिकार

३. शोषण के विरूद्व अधिकार

४. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

५. संस्कृति एंव शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

६. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

वस्तुतः मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकार सभी का लक्ष्य एक ही है। सभी का लक्ष्य- मानव कल्याण, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करना किन्तु मानवाधिकार विश्वव्यापी अवधारणा है जो कि मनुष्य को सुखी और सम्मानित जीवन हेतु प्राकषतिक अधिकार प्रदान करती है। मौलिक अधिकार मानवाधिकार के अभिन्न भाग है। जो कि प्रत्येक राष्ट्र के संविधान में वर्णित होते है तथा न्यायालय इनका संरक्षक होता है।[८] नागरिक अधिकार किसी देश के नागरिको को प्राप्त होते है लेकिन मानवाधिकार वे मूलभूत या न्यूनतम अधिकार है जो कम से कम प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को मिलने ही चाहिये। मौलिक अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिये वह अधिकारों की प्राप्ति का माध्यम कहे जाते है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने विश्व में मनुष्य के प्राकृतिकृ अधिकारों को सुरक्षित करने को प्रयास सन् १६४५ में शुरू किया। **वर्ष १६४८ में १० दिसम्बर को सयुंक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा** की । अतः प्रत्येक **१० दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस** मनाया जाता है। मानवाधिकारों को पांच वर्गो में बांटा जा सकता हैः

१. नागरिक अधिकार

२. राजनीतिक अधिकार

३. आर्थिक अधिकार

४. सामाजिक अधिकार

५. सांस्कृतिक अधिकार

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा-पत्र पर १६४८ में भारत ने हस्ताक्षर किये। मानवोचित अधिकारों के संरक्षण के प्रति भारत की तत्कालीन सरकार ही नहीं संविधान निर्माता भी सजग थे। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद न केवल मानवाधिकारों की सुरक्षा ही करते हैं, बल्कि उनका सम्मान भी करते है। **वर्ष १६६३** में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये एक अध्यादेश के अन्तर्गत **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन** किया गया। इस अध्यादेश के बाद **मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १६६४** पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में मानवाधिकार आयोगों तथा जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १६६३** में सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी निर्देश है। इस आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा दो सदस्य मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ होगें। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली** में स्थित है।

मानवाधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिये गैरसरकारी संगठन भी सराहनीय कार्य कर रहे है इनकी भूमिका को **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १६६३** में भी स्वीकार किया गया है। इस **अधिनियम की धारा १२ (१) के अन्तर्गत "मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का कार्य मानवाधिकार आयोग को सौंपा गया है।"**

मानव अधिकार और उसकी रक्षा एक सार्वभौमिक तथ्य है। मानवाधिकारों के संरक्षण व उनके प्रति आदर व चिन्ता आज के समय की मांग है। इन अधिकारों की रक्षा की गारण्टी परस्पर सहमति ही है जहॉ यह सदभाव नही होगा, वहा समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से असहिष्णुता का व्यवहार करने लगते है और वही

पर सरकार को हस्तक्षेप करना पडता है। क्योंकि इनका संरक्षण या उल्लंघन किसी देश या समाज की प्रगति का मानक भी है। सम्पूर्ण स्थिति पर यदि दर्षष्टि डाली जाये तो यही लगता है कि मानवाधिकार का सबसे बडा शत्रु आतंकवाद है। मानवाधिकारों के प्रति किसी भी व्यक्ति की उदासीनता का सबसे मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी शिक्षा में विशेष सुधार नही हुआ। इसी कारण अधिकांश लोग अपने अधि ाकारों के विषय में जानते ही नही है तो वे दन अधिकारों के हनन का विरोध कैसे करेगें ? मानवाधिकारों की रक्षा के लिये सभ्य समाज में कही न कही आवाज उठाई जाती है। परन्तु ऐसे अधिकार प्रायः रोद दिये जाते है। जिसका कारण वर्तमान की सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में कमी होना है।

चूंकि मानवाधिकरों के साथ भारत का सरोकार बहुत प्राचीन काल से है। हम **"वसुधैव कुटुम्बकम"** के आराधक हैं। हमने विश्व को **जियो और जीने दो का आर्दश** दिया है। हमारे भारतीय समाज की परस्पर सदभाव सहिष्णुता की प्राचीन परम्परा रही है। आज विकसित देश भारत को मानवाधिकार की रक्षा करने का पाठ पढ़ाने की बात करके अपने आपको एक हास्यास्पद स्थिति में डाल देते है क्योकि वास्तव में कुछ देश मानवाधिकारों के नाम पर दूसरे देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत ने समय-समय पर इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि क्यों निर्दोष स्त्री, पुरूष तथा बच्चों की हत्याओं को कुछ लोग स्वतन्त्रता संर्घष का नाम देते हुये उचित ठहराते है। क्योंकि मानवाधिकारों का हनन राजनैतिक कारणों के अतिरिक्त धार्मिक मुद्दों पर भी किया जाता हैं क्योंकि धर्म जो सबको सहिष्णुता सिखाता है, उसी के नाम पर धार्मिक कट्टरता मानवाधिकारों के हनन का कारण बनती है और निर्दोष लोग उसके शिकार। विकास तथा आर्थिक विकास के जन्मजात अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। भारत ही नही विश्व के प्रायः हर देश में मानवाधिकार का खुले आम हनन होता है। विकसित देशों सहित समूचे विश्व में मानवाधिकारों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। तीसरी दुनिया में देशों की स्थिति बहुत ही भयानक है।यहॉ पर हर कदम पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसका मुख्य कारण है सत्ता के प्रति बढता लोभ, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना और ससंस्कृतिक मान्यताओं की रूढिबादिता। क्योंकि मानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन उन देशों में होता है जहॉ की सरकारें अपनी लोकतान्त्रिक व्यवस्था का ढोल दिन-रात पीटा करती है। ऐसी सरकारें अपने देश में कार्यरत मानवीय अधिकारों के लिये संर्घष करने वाले मानव अधिकार आयोग के पैर कतरने का प्रयास निरन्तर करती रहती है।

भारत जैसे बहुभाषायी और बहुधार्मिक देश में मानवाधिकारों के प्रवर्तन में अनेक व्यवहारिक उलझने सामने आती रहती है। गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी, पलायन, जातिवाद, विषमता, आतंकवाद, कुपोषण कुछ ऐसी ही उलझनें है। जातिवादी हिंसा का वीभत्स रूप अचानक मानवाधिकारों के सामने अवरोध बनकर खडा हो जाता है। आज ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता है जिनमें मानव अधिकारों के उपभोग और उनकी वैधानिक मान्यता स्वीकृत हो और उनकी सुरक्षा हो। इनके बिना मानव अधिकारों की सभी घोषणायें मात्र कागजी खानापूर्ति बनी रहेगी, वे कभी साकार रू‍प नही ले सकेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ -:

१. डॉ. माताप्रसाद शर्मा, मानवाधिकार एवं शिक्षा, श्रीकविता प्रकाशन, जयपुर।

२. ए. एम. अंसारी, महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन जयपुर, २००३, पृ. ४

३. राजबाला सिंह, मानवाधिकार एवं महिलायें आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, २००६,पृ.२

४. सुरेन्द्र कटारिया, मानवाधिकार, सभ्य समाज एवं पुलिस, आर. बी. एस. पब्लिकेशन,जयपुर, २००३,पृ. ५८

५. डी. पी. त्रिपाठी, मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद ।

६. राधेश्याम गुप्ता, महिला और कानून, इशिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, २०१०

७. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_right Accessed on-09-11-17

8- https://birdpower.blogspot.com/2017/03/human-right-full-notes-in-hindi.html Accessed on- 07-11-17

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_right_in_India Accessed on 8-11-17

१०. जयराम उपाध्याय, मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद

११. डॉ. एच. ओ. अग्रवाल, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद

१२. जी. पी. त्रिपाठी, भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद